न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— ब्रह्मलाल जाट (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर 1/2024

उनवान प्रकरण

1. नन्दलाल
2. भूरी सिंह

पि. पीतम सिंह जाति गोला पूरब निवासी काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी लीलाधर जाति वैश्य निवासी सुपरिडेन्ट का बाडा बजरिया धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. पीतम सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति गोला पूरब निवासी काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 918 दिनांक 21.02.2023
ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर

निर्णय दिनांक : 28.06.2024

उपस्थितिः—

अपीलान्ट्स की ओर से :— श्री निशांन्त भार्गव एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट 1 संख्या की ओर से :— श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से :— श्री सुरेश कटारा एडवोकेट

निर्णय

सूक्ष्म में अपीलान्ट द्वारा अपील इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खाता सं. 10 खसरा नं. 508 रकवा 2.2129 हैक्टेयर, खाता सं. 54 खं. नं. 42 रकवा 19606 हैक्टेयर, खाता सं. 55 खं. नं. 105 रकवा 0.1770 हैक्टेयर, 108 रकवा 0.3541 हैक्टेयर, 109 रकवा 0.2529 हैक्टेयर, 118 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, 122 रकवा 0.2023 हैक्टेयर, 123 रकवा 0.3161 हैक्टेयर, 135 रकवा 0.2150 हैक्टेयर, 137 रकवा 0.2655 हैक्टेयर, 161 रकवा 0.3667 हैक्टेयर, 162 रकवा 0.2529 हैक्टेयर, 164 रकवा 0.2403 हैक्टेयर, 165 रकवा 0.2150 हैक्टेयर, 166 रकवा 0.1644 हैक्टेयर, 168 रकवा 0.0379 हैक्टेयर, 169 रकवा 0.1897 हैक्टेयर, 170 रकवा 0.055

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर, 171 रकवा 0.0253 हैक्टेयर, 214/2 रकवा 0.506 हैक्टेयर, 229/4 रकवा 0.379 हैक्टेयर, 231/1 रकवा 0.0126 हैक्टेयर, 232 रकवा 0.1517 हैक्टेयर, 233 रकवा 0.1391 हैक्टेयर, 234 रकवा 0.1138 हैक्टेयर, 237 रकवा 0.2403 हैक्टेयर, 238 रकवा 0.2023 हैक्टेयर, 244 रकवा 0.5817 हैक्टेयर, 245 रकवा 0.7208 हैक्टेयर, 246 रकवा 0.4046 हैक्टेयर, 254 रकवा 0.2403 हैक्टेयर, 255 रकवा 0.0126 हैक्टेयर, 256 रकवा 0.2156 हैक्टेयर, 43 रकवा 1. 3124 हैक्टेयर, 44 रकवा 0.7180 हैक्टेयर, 45 रकवा 0.9737 हैक्टेयर, 46 रकवा 0.9357 हैक्टेयर, 47 रकवा 0.5817 हैक्टेयर, 566 रकवा 0.1517 हैक्टेयर, 567 रकवा 0.26 हैक्टेयर, 568 रकवा 0.4426 हैक्टेयर, 61 रकवा 0.4209 हैक्टेयर, 94 रकवा 0.7391 हैक्टेयर, 95 रकवा 0.1517 हैक्टेयर बांके ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर में रेस्पोडेन्ट नं. 2 पीतम सिंह पुत्र चन्दन सिंह 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार था जिसने गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर उक्त आराजी मे से 1/7 भाग का विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2011 को रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने श्रीमती लक्ष्मी के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीवद्ध करा दिया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का मौके पर कब्जा नही था और न ही उसने 11 साल तक नामान्तकरण कराया। 11 साल बाद नामान्तकरण सं. 918 बाके ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर दिनांक 21.02.2023 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से असन्तुष्ट हो कर अपीलान्ट पेश की गई है कि नामान्तकरण सं. 918 ग्राम काजीपुरा दिनांक 21.02.2023 तहसीलदार धौलपुर का आदेश कानून के खिलाफ होने के कारण काविल खारिज के है क्योकि तहसीलदार धौलपुर ने अपने पदीय शक्तियों (Abuse the Process of the court) का दुरूपयोग करके नामान्तकरण स्वीकार किया है जबकि दस्तावेज पेश करने के पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.11.2023 से 45 दिन तक तहसीलदार धौलपुर को नामान्तकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नामान्तकरण दिनांक 19.01.2023 को पटवारी हल्का ने नामान्तकरण 11 साल बाद किसके आदेश से भरा गया था। दिनांक 20.01.2023 को भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा कब्जा बावत कोई जांच नही की है। एक दिन में ही समस्त कार्यवाही बिना जांच के ग्राम पंचायत ओदी में पेश किया और सचिव से सरपंच ग्राम पंचायत ओदी पं.स. धौलपुर की सील लगवाली ग्राम पंचायत के कोरम मे पेश नही किया। दिनांक 05.02.2023 को अवकाश था दिनांक 06.02.2023 को नामान्करण पेश नही किया और दिनांक 21.02.2023 को तहसीलदार धौलपुर से स्वीकार करा लिया। जबकि 45 दिन ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है अतः नामान्तकरण सं. 918 ग्राम काजीपुरा दिनांक 21.02.2023 बिना क्षेत्राधिकार आदेश होने के कारण काविल खारिज है। तहसीलदार धौलपुर ने पक्षकारो को कोई नोटिस नही दिया और न ही कब्जा बावत कोई साक्ष्य केवल मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है। 11 साल बाद नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है अतः पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है था दिनांक 04.02.2023 को तहसीलदार धौलपुर का नामान्तकरण कार्यवाही नही किये जाने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कार्यवाही नही की अतः आदेश नामान्तकरण काविल खारिज है। अन्य सहखातेदारो से कोई विवाद नही है इसलिए पक्षकार नही बनाया गया है।उपरोक्त आराजी बावत वाद न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर की अदालत में वाद संख्या 9/2023 उनवानी नंदलाल वगैरा बनाम श्रीमती लक्ष्मी वगैरा इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा, दुरस्ती इन्द्राज, वटवारा पेश किया दिनांक 17.02.2023

Scanned with OKEN Scanner

को स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.3.2023 तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति उभयपक्ष बनाये रखे और प्रार्थना पत्र द्वारा तहसीलदार धौलपुर को सूचना दे दी थी न्यायालय के आदेश की अवेहलना करते हुए साजिश के तहत राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये नामान्तकरण स्वीकार किया है अतः अधीनस्थ कर्मचारीयों को जाच किया जाना आवश्यक है और नामान्तकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा निवेदन किया है। Political power,Muscle power, Money power का प्रॉपर्टी डीलर राजस्व कर्मचारीयो से साजिश कर के गरीब अशिक्षित किसानोकी भूमि हड़प रहे है और अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे है। अतः जान बूझकर कानून की अवहेलना करके नामन्तकरण बिना क्षेत्राधिकार पारित किया है अतः नामान्तकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया । रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री सुरेश चंद कटारा उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति एवं जवाब अपील पेश किया जिसमें अंकित किया की कोई भी स्थगन आदेश तहसीलदार धौलपुर के समक्ष नामान्तकरण संख्या 918 स्वीकार करते समय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया और न ही न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर द्वारा वाद पत्र उनवानी नंनदाल बनाम लक्ष्मी में कोई अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश लिखित में तहसीलदार धौलपुर को दिया था, अस्थाई निषेधाज्ञा के बिना कोई भी विधिक कार्यवाही रोकी नही जा सकती लिहाजा तहसीलदार धौलपुर द्वारा खोला गया नामान्करण संख्या 918 पूर्णतः विधि सम्मत है तथा पदीय शक्तियों का समुचित उपयोग करते हुये खोला गया है तथा ग्राम पंचायत भी नामान्तकरण के सम्बन्ध तहसीलदार धौलपुर की डेलिगेटेड शक्तियों का उपयोग करती है ऐसी स्थिति में चरण संख्या 01 अपील में अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्ति असत्य है। विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार धौलपुर को नामान्तकरण आदेश पारित करने के लिये किसी अन्य अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नही होती है तथा विक्रय पत्र में कब्जा एवं स्वत्व क्रेता को प्रदान किया जाना स्पष्ट रूप से यदि अंकित है तो अन्य प्रकार से कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक नही है तथा आपत्तिकर्ता के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध विक्रय पत्रो मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा एवं स्वत्व एवं खातेदारी अधिकार आपत्तिकर्ता के पक्ष में अन्तरित कर दिये थे, मुताबिक विक्रय पत्र आपत्तिकर्ता अपीलाधीन आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त है लिहाजा अपीलांट द्वारा अंकित सभी तथ्य असत्य है, आपत्तिकर्ता को स्वीकार नही है। नामान्तकरण संख्या 918 उत्तरदाता के पक्ष मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो के आधार पर स्वीकार किया गया था तथा अपीलांट का या विक्रेता का या किसी अन्य व्यक्ति का उत्तरदाता द्वारा क्रयशुदा आराजी मे कोई भी स्वत्व, हित एवं अधिकार नही है अपीलांट तृतीय व्यक्ति की हैसियत रखते है, विक्रय पत्रो के आधार पर स्वीकृत होने वाले नामान्तकरण मे किसी अन्य व्यक्तियों को कानूनन नोटिस दिया जाना आवश्यक नही तथा कब्जे बावत कोई जांच आवश्यक नही है तथाकथित प्रार्थना पत्र भी असत्य एवं मनगढन्त है तथा नामान्करण की अपील या दावे मे समस्त खातेदार काश्तकारान को कानूनन पक्षकार प्रकरण बनाया जाना आवश्यक होता है, रिकॉर्डेड

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार काश्तकारान को पक्षकार प्रकरण बनाये बिना अपील पोषणीय नही है लिहाजा चरण संख्या 03 अपील मे अंकित सभी तथ्य असत्य है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर दिनांक 17.02.2023 को अदालत मे न्यायिक कार्य करने के लिये उपस्थित नही थे, दीगर राजकार्य मे व्यस्त होने की वजह से अनुपस्थित थे। दिनांक 17.02.2023 को न्यायालय सहायक कलक्अर (मुख्यालय) धौलपुर में नियत सभी पत्रावलियो में लिखित आदेशिकाओ मे दीगर राजकार्यो मे व्यस्त होने की वजह से अनुपस्थिति अंकित है पुष्टि के लिये आपत्तिकर्ता ने गौमती बनाम निहाला नामक पत्रावली की समस्त आदेशिकाओं मकी सत्यप्रति प्रस्तुत की है जिसमे पी.ओ साहब के राजकार्य मे व्यस्त होने का कथन स्पष्ट रूप से अंकित है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर की दिनांक 17.02.2023 मे नियत अन्य पत्रावलियों का अवलोकन करके आपत्तिकर्ता के कथनो की सत्यता की जांच कर सकते है ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के समक्ष लम्बित पत्रावली नन्दलाल बनाम लक्ष्मी मे दिनांक 17.02.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना संभव नही था। अपीलान्ट ने आपत्तिकर्ता के विरूद्ध कर्मचारियो एवं अधिकारियों से साजकर अवैध रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है तथा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की सत्य प्रतिलिपि अपीलाधीन नामान्तकरण के स्वीकार होने की दिनांक 21.02.2023 को अपीलान्ट ने तहसीलदार धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत नही की थी यदि अस्थाई निषेधाज्ञा उचित समय पर प्रस्तुत की है तो तहसीलदार के रिसिविंग रजिस्टर की नकल अपीलान्ट को प्रस्तुत करनी चाहिये तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के डिस्पेच रजिस्टर की भी नकल प्रस्तुत करनी चाहिये जो अपीलांट ने प्रस्तुत नही की है तथा स्थगन आदेश की प्रति के अभाव में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवहेलना की श्रेणी में नही आता है यदि तहसीलदार धौलपुर ने या आपत्तिकर्ता ने किसी अस्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन किय है तो अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के समक्ष ही अपीलांट को अवहेलना की कार्यवाही करनी चाहिये, उक्त अवहेलना के विरूद्ध अपील विधि विरूद्ध है एवं काबिल खारिज के है। आपत्तिकर्ता एक सद्भावी क्रेता है जिसको अनावश्यक रूप से अपीलांट एवं उसके परिवारीजनो के माध्यम से काफी लम्बे समय से परेशान किया जा रहा है तथा तहसीलदार धौलपुर द्वारा पूर्ण क्षेत्राधिकार के आधार पर नामान्तकरण संख्या 918 स्वीकार किया गया है। आपत्तिकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपनी ओर से केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखी थी तथा कानूनन केवियट लम्बित होने की स्थिति में केवियटर का मूल प्रकरण पर आदेश होने से पूर्व विधिवत रूप से सूचना एवं सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक होता है, न्यायायय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर द्वारा आपत्तिकर्ता/केवियट को मूल वाद पत्र नन्दलाल बनाम लक्ष्मी प्रस्तुत होने पर केवियट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न रजिस्टर नोटिस को जारी नही करवाया, मूल वाद पत्र की पत्रावली मे आज भी केवियट के साथ बिना जारी हुआ रजिस्टर्ड लिफाफा संलग्न है जिसकी सत्यता को सहायक कलक्टर (मुख्यालय) की पत्रावली को तलब कर जांचा जा सकता है, लिहाजा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर द्वारा जारी तथाकथित अस्थाई निषेधाज्ञा अवैध है। दिनांक 17.02.2023 को सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के पी.ओ. साहब दीगर राजकार्यो मे व्यस्त थे इसलिये हाजिर अदालत नही हुये थे।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 17.02.2023 को नियम समस्त पत्रावलीयों मे दीगर राजकार्यो मे व्यस्त होने के कथन अंकित है तथा पी.ओ साहब की अनुपस्थिति अंकित है, मात्र मूल वाद पत्र नन्दलाल बनाम लक्ष्मी मे अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश दिया जाना संम्भव नही था लिहाजा अपीलान्ट द्वारा अंकित सभी तथ्य असत्य है तथा बरती गई प्रक्रिया अनियमित एवं अवैध है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा विधिवत रूप से नामान्तकरण आदेश पारित किया गया था तथा नामान्तकरण ओदश पारित करने से पूर्व तथा नामान्तकरण आदेश पारित करने के समय अपीलान्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा की सत्यप्रति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही की थी तथा आदेश की प्रति के अभाव मे कानूनी कार्यवाही को रोका जाना संभव नही है लिहाजा अपील मे अंकित सभी तथ्य असत्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 918 वाके ग्राम काजीपुरा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को समुचित न्यायालय से निरस्त कराये बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हुये नामान्करण को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। नामान्तकरण अपील की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही की श्रेणी मे आती है जिसमे किसी व्यक्ति के हित अधिकार तय नही किये जा सकते है तथा ना ही अवहेलना को तय किया जा सकता है अपीलान्ट द्वारा अपील मे वर्णित कथनो के मुताबिक ही मूल वाद पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर मे आपत्तिकर्ता के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है तथा मूल वाद पत्र के विचाराधीन होने की वजह से नामान्करण की अपील जैसी संक्षिप्त कार्यवाही पोषणीय नही है तथा काबिल खारिजी के है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर में रेस्पोडेन्ट नं. 2 पीतम सिंह पुत्र चन्दन सिंह 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार था जिसने गलत इंन्द्राज का लाभ उठाकर उक्त आराजी मे से 1/7 भाग का विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2011 को रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने श्रीमती लक्ष्मी के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीबद्ध करा दिया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का मौके पर कब्जा नही था और न ही उराने 11 साल तक नामान्तकरण कराया। 11 साल बाद नामान्तकरण सं. 918 बाके ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला धौलपुर दिनांक 21.02.2023 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से असन्तुष्ट हो कर अपीलान्ट पेश की गई है कि नामान्तकरण सं. 918 ग्राम काजीपुरा दिनांक 21.02.2023 तहसीलदार धौलपुर का आदेश कानून के खिलाफ होने के कारण काबिल खारिज के है क्योकि तहसीलदार धौलपुर ने अपने पदीय शक्तियों (Abuse the Process of the court) का दुरूपयोग करके नामान्तकरण स्वीकार किया है जबकि दस्तावेज पेश करने के पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.11.2023 से 45 दिन तक तहसीलदार धौलपुर को नामान्तकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नामान्तकरण दिनांक 19.01.2023 को पटवारी हल्का ने नामान्तकरण 11 साल बाद किसके आदेश से भरा गया था। दिनांक 20.01.2023 को भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा कब्जा बाबत कोई जांच नही की है। एक दिन में ही समस्त कार्यवाही बिना जांच के ग्राम पंचायत ओदी में पेश किया और सचिव से सरपंच ग्राम पंचायत ओदी पं.स. धौलपुर की सील लगवाली ग्राम पंचायत के कोरम मे पेश नही किया। दिनांक 05.02.2023 को अवकाश था दिनांक 06.02.2023 को नामान्करण पेश नही किया और दिनांक 21.02.2023 को

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार धौलपुर से स्वीकार करा लिया। जबकि 45 दिन ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है अतः नामान्तकरण सं. 918 ग्राम काजीपुरा दिनांक 21.02.2023 बिना क्षेत्राधिकार आदेश होने के कारण काबिल खारिज है। तहसीलदार धौलपुर ने पक्षकारो को कोई नोटिस नही दिया और न ही कब्जा बावत कोई साक्ष्य केवल मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है। 11 साल बाद नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है अतः पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है था दिनांक 04.02.2023 को तहसीलदार धौलपुर का नामान्तकरण कार्यवाही नही किये जाने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कार्यवाही नही की अतः आदेश नामान्तकरण काबिल खारिज है। अन्य सहखातेदारो से कोई विवाद नही है इसलिए पक्षकार नही बनाया गया है।उपरोक्त आराजी बावत वाद न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर की अदालत में वाद संख्या 9/2023 उनवानी नंदलाल वगैरा बनाम श्रीमती लक्ष्मी वगैरा इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा, दुरस्ती इन्द्राज, बटवारा पेश किया दिनांक 17.02.2023 को स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.3.2023 तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति उभयपक्ष बनाये रखे और प्रार्थना पत्र द्वारा तहसीलदार धौलपुर को सूचना दे दी थी न्यायालय के आदेश की अवेहलना करते हुए साजिश के तहत राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये नामान्तकरण स्वीकार किया है अतः अधीनस्थ कर्मचारीयों को जांच किया जाना आवश्यक है और नामान्तकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा निवेदन किया है। Political power,Muscle power, Money power का प्रॉपर्टी डीलर राजस्व कर्मचारीयो से साजिश कर के गरीब अशिक्षित किसानोकी भूमि हड़प रहे है और अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे है। अतः जान बूझकर कानून की अवहेलना करके नामन्तकरण बिना क्षेत्राधिकार पारित किया है अतः नामान्तकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट बराये बदनीयती दुर्भावनापूर्वक उत्तरदाता/आपत्तिकर्ता को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई है जो काबिल खारिजी के है। आपत्तिकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपनी ओर से केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखी थी तथा कानूनन केवियट लम्बित होने की स्थिति में केवियटर का मूल प्रकरण पर आदेश होने से पूर्व विधिवत रूप से सूचना एवं सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक होता है, न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर द्वारा आपत्तिकर्ता/केवियट को मूल वाद पत्र नन्दलाल बनाम लक्ष्मी प्रस्तुत होने पर केवियट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न रजिस्टर नोटिस को जारी नही करवाया, मूल वाद पत्र की पत्रावली मे आज भी केवियट के साथ बिना जारी हुआ रजिस्टर्ड लिफाफा संलग्न है जिसकी सत्यता को सहायक कलक्टर (मुख्यालय) की पत्रावली को तलब कर जांचा जा सकता है, लिहाजा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर द्वारा जारी तथाकथित अस्थाई निषेधाज्ञा अवैध है। दिनांक 17.02.2023 को सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर के पी.ओ. साहब दीगर राजकार्यो मे व्यस्त थे इसलिये हाजिर अदालत नही हुये थे। दिनांक 17.02.2023 को नियम समस्त पत्रावलियों मे दीगर राजकार्यो मे व्यस्त होने के कथन अंकित है तथा पी.ओ साहब की अनुपस्थिति अंकित है, मात्र मूल वाद पत्र नन्दलाल बनाम लक्ष्मी मे अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश दिया जाना संम्भव नही था लिहाजा अपीलान्ट द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

अंकित सभी तथ्य असत्य है तथा बरती गई प्रक्रिया अनियमित एवं अवैध है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा विधिवत रूप से नामान्तकरण आदेश पारित किया गया था तथा नामान्तकरण ओदश पारित करने से पूर्व तथा नामान्तकरण आदेश पारित करने के समय अपीलान्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा की सत्यप्रति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही की थी तथा आदेश की प्रति के अभाव मे कानूनी कार्यवाही को रोका जाना संभव नही है लिहाजा अपील मे अंकित सभी तथ्य असत्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 918 वाके ग्राम काजीपुरा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को समुचित न्यायालय से निरस्त कराये बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हुये नामान्करण को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। नामान्तकरण अपील की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही की श्रेणी मे आती है जिसमे किसी व्यक्ति के हित अधिकार तय नहो किये जा सकते है तथा ना ही अवहेलना को तय किया जा सकता है अपीलान्ट द्वारा अपील मे वर्णित कथनो के मुताबिक ही मूल वाद पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर मे आपत्तिकर्ता के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है तथा मूल वाद पत्र के विचाराधीन होने की वजह से नामान्करण की अपील जैसी संक्षिप्त कार्यवाही पोषणीय नही है तथा काबिल खारिजी के है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 918 ग्राम काजीपुरा में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरा गया दिनांक 19.01.2023 भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच दिनांक 20.01.2023 तहसीलदार धौलपुर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत दिनांक 21.02.2023 किया गया । पटवारी हल्का द्वारा बिला सक्षम अधिकारी क आदेश के 11 साल बाद अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करके नामान्तरकरण भरा है । भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच कब्जा बाबत नहीं की पक्षकारों से जानकारी करनी चाहिए कोई कानूनी बाधा नहीं है । भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया । निर्णय तहसीलदार द्वारा किया गया । क्षेत्राधिकार धारा 135(1) एल. आर.एक्ट तहसीलदार को केवल आवंटन के मामले न्यायालय के आदेशों के मामले । ग्राम पंचायत उत्तराधिकार (विरासत) के मामले हस्तान्तरण के मामले । 45 दिन तक ग्राम पंचायत को निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । नामान्तरकरण दिनांक 19.01.2023 को भरा गया । भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच 20.01.2023 नामान्तरकरण दिनांक 21.02.2023 एक माह के अन्तर्गत निर्णय किया गया । ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गयाहै । नामान्तकरण वैद्य नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य माना गया । माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रति पारित किया है 1977 आरआरडी 275 ,न्यायालय का कोई आदेश क्षेत्राधिकार नहीं है तो उनके द्वारा पारित किया गया आदेश की कानूनी महत्ता नहीं है और ऐसे आदेश सडक चलत व्यक्ति द्वारा पारित आदेश की परिभाषा में आता है एआईआर 1953 उच्चतम न्यायालय पेज 540, पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण 11 साल बाद भरा गया है तो केता का नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व विकेता को नोटिस दिया जाना आवश्यक है , माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है Land revenue act 1956 See 135 Wher Mutation is attested after 16 years notice to seller is nessasary RRB 1956 Page 355 पक्षकारों के मध्य दावा स्वत्व

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज , स्थायी निषेधाज्ञा , बटवारा विचाराधीन हो जिसकी सूचना पक्षकार द्वारा दिनांक 04.02.2023 को प्रार्थना पत्र पेश किया न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर उनवानी प्रकरण नंदलाल बगैरा बनाम लक्ष्मी बगैरा में अस्थायी निषेधाज्ञा अदालत द्वारा जारी की गई हो उसके बाद नामान्तकरण कार्यवाही की गयी हो तो माननीय राजस्व मण्डल नरे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है Summory prociding stay कर देनी चाहिये और नामान्तकरण को निरस्त किया 1985 आरआरडी 170 पैरा 5,6 एवं तहसीलदार ने अस्थायी निषेधाज्ञा की अनदेखी की है पटवारी हल्का को अस्थायी निषेधाज्ञा की सूचना दे दी गई थी उसके पश्चात् बिला क्षेत्राधिकार नामान्तकरण स्वीकार किया है । अतः उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित है । माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है आरबीजे 2013 पेज 110 पैरा 14 अतः अपील स्वीकार कर नामान्तकरण निरस्त किया जावें ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस का मनन किया । न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) द्वारा प्रकरण नन्दलाल बनाम लक्ष्मी में दिनांक 17.02.2023 को स्थगन आदेश जारी किया गया है तथा उक्त प्रकरण में आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 22.02.2023 को न्यायालय द्वारा तैयार कर दिनांक 22.02.2023 को ही दी गई है । जबकि नामान्तरकरण दिनांक 19.01.2023 को पटवारी हल्का ओदी द्वारा भरा जाकर दिनांक को गिरदावर की जॉच पश्चात् 20.01.2023 को गिरदावर की जॉच के एक माह पश्चात् दिनांक 21.02.2023 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकृत किया है । इस प्रकार सक्षम स्वीकारकर्त्ता अधिकारी तहसीलदार धौलपुर को नामान्तकरण स्वीकृति दिनांक 21.02.2023 को स्थगन आदेश की तामील करवाई गई हो ये तथ्य अपीलकर्त्ता सिद्ध नहीं कर पायें । इस प्रकार हम प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचेत नहीं मानते है ।

अतः अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे एवं नियमानुसार कार्यवाही के बाद जमा अभिलेखागार कराई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

28/6/24

(ब्रह्मलाल जाट)
ब्रह्मलाल जाट
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner